न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/मु.सं. 132/2024</u>

01. मन्शाराम पुत्र मोटाराम
02. भींव सिंह पुत्र मोटाराम
03. रिछपाल पुत्र मोटाराम
04. पतासी पुत्री मोटाराम
05. कमला पुत्री मोटाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा हाल आबाद ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– वादीगण

01. गोपाल पुत्र झुंथाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुरा बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
02. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>
<u>अ. धारा 88 व 188 राज. काश्तकारी अधि., 1955 तथा अ. धारा 136 भू–राजस्व अधि., 1956</u>

उपस्थिति–

01. श्री भागीरथमल जाखड़, वकील वादीगण की ओर से
02. श्री सद्दाम हुसैन, वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक– 21.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "आराजी खसरा सं. 1418 रकबा 1.4200 हेक्टेयर वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर अवस्थित है, जो वादीगण के खाते, कब्जे व काश्त की है तथा वादीगण ही उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार, काश्तकार काबिज है। उक्त वर्णित आराजियात वादीगण के कब्जे, काश्त में होने के बावजूद भी उक्त आराजी की खातेदारी पहले सहवन से सेटलमेन्ट के वक्त से गलत रूप से 1/16 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के पिता झुंथाराम के नाम से गलत दर्ज हो गयी। झुंथाराम फौत हो चुका है। जिसका एकमात्र वारिस प्रतिवादी सं. 1 है तथा 15/16 की खातेदारी गलत रूप से पन्नालाल, सुखाराम, जैसाराम, भागीरथमल, बलवीर, अणची के नाम से गलत दर्ज हो गयी थी, जिसकी दुरूस्ती की डिक्री 15/16 की वादीगण ने अपने नाम से करवाली थी। राजस्व अपील अधिकारी से दिनांक 15.12.2021 को डिक्री करवा ली थी। वाद व प्रतिवादीगण के पुराने खसरा सं. 711, 712 थे तथा नया सटलमेन्ट में उक्त पुराने खसरा सं. के कई नये खसरा सं. बन[illegible] 1/16 हिस्से की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी सं. 1 के पिता झुंथाराम के नाम गलत [illegible] से [illegible] हो गयी। लेकिन 15/16 के दावे की दुरूस्ती वक्त 1/16 हिस्से की दुरूस्ती भूलवश नहीं हो सकी। इसलिए उक्त 1/16 हिस्से दुरूस्ती हेतु अब दावा प्रस्तुत करना लाजिम आया है। उक्त वर्णित आराजी में उक्त 1/16 हिस्से पर वादीगण सहवन से काश्त करते चले आ रहे है व काबिज है। [illegible] 1/16 हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 का कोई वास्ता व कब्जा काश्त नहीं है तथा न कभी रहा है। लेकिन उक्त 1/16 हिस्से की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम से होने से वादीगण के हितों पर गलत असर पड़ता है। अतः रेवेन्यू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

रेकार्ड दुरूस्ती वादीगण के पक्ष में किया जाना न्यायहित में जरूरी है। बिनाय दावा अरसा दस दिन पूर्व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती तथा इन्द्राज दुरूस्ती से इन्कार करने पर दावा करना लाजिम आया है। आराजी मुतनाजा फरीकेन इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः दावा न्यायालय श्रवणाधिकार में होने से दावा उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पर अन्दर मियाद न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 2 भूमिधारी प्रतिनिधि होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर उद्घोषणाा इस असर की फरमायी जावें कि आराजी खसरा सं. 1418 रकबा 1.4200 हेक्टेयर वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में स्वर्गीय झुंथाराम का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को 1/16 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वे उक्त वर्णित आराजी में 1/16 हिस्से में वादीगण को किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी करने से बाज रहें।"

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सद्दाम हुसैन, एड. ने वकालतनामा पेश कर वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत जवाब दावा पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। प्रकरण दावा में वकील वादीगण ने अपने वाद–पत्र में अंकित अनुतोष के अनुसार वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब के अनुसार वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रकरण दावा में ग्राम कासली के खाता सं. (नया) 269 में वर्णित आराजी खसरा सं. 1418 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी (संवत् 2076–2079) में वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के पिता (झूंथाराम पुत्र खांगाराम) का 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम व हिस्सा मुताबिक जमाबंदी रिकॉर्ड दर्ज है, जिनसे वादीगण ने कोई रिलीफ नहीं चाही है। हस्तगत वाद में वादी के केवल प्रतिवादी सं. 1 के पिता के हिस्से 1/16 के बाबत अनुतोष चाहा है। प्रकरण दावा में वादीगण सं. 1 ता 5 तथा प्रतिवादी सं. 1 सहमत होकर वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के पिता (झूंथाराम पुत्र खांगाराम) का 1/16 हिस्सा को हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर खातेदारी वादीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज कर उद्घोषित करवाना चाहते है। प्रतिवादी सं. 1 अपने सहमति स्वरूप प्रस्तुत जवाब के अनुसार उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती चाह रहे है। चूंकि वर्णित आराजी के खातेदारान वादीगण सं. 1 ता 5 व प्रतिवादी सं. 1 के वाद में दर्ज अनुतोष के अनुसार सहमत है। अतः वादीगण का वाद उभयपक्ष की सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 1418 रकबा 1.4200 हेक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 के पिता (झूंथाराम पुत्र खांगाराम) के 1/16 हिस्सा को हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर वादीगण सं. 1 ता 5 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:05 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर
बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मन्शाराम बनाम गोपाल आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर– 132/2024 निर्णय दिनांक– 21.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री भागीरथ मल जाखड़, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री सद्दाम हुसैन, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 1418 रकबा 1.4200 हेक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 के पिता (झूंथाराम पुत्र खांगाराम) के 1/16 हिस्सा को हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर वादीगण सं. 1 ता 5 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

यह आज तारीख 21.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रुपया
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:05 IST
Reason: SelfAttested